



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 अग्रहायण 1943 (श०)
(सं० पटना ७७५) पटना, सोमवार, 6 दिसम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 15-2021/राज्य कर (दर)

एस० ओ० 163, दिनांक 6 दिसम्बर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

- 1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, रथानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, रथानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी रथानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (i) में, उप मद (ख) में, शब्दों "वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद" के पश्चात, प्रतीकों और शब्दों, उनकी रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर, " को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13)15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 fnl Ecj 2021

एस० ओ०. 163 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13)15)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6th December 2021

Notification No.15/2021– State Tax (Rate)

S.O. 163, dated 6th December 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against serial number 3,-
 - (1) in column (3),in the heading “Description of Service”, in items (iii),(vi),(ix) and (x),for the words “Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words “Union territory or a local authority” shall be substituted;
 - (2) in column (3),in the heading “Description of Service”, in item (vii),for the words “Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words “Union territory or a local authority” shall be substituted;
 - (3) in column (5),in the heading “Condition”, the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted;
- (ii) against serial number 26,in column (3), in the heading “Description of Service”,in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets “Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)” the words “except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 15)]
By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 995-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>